

16⁹/₂₂

आज स्वच्छ अन्न काम में / मीटिंग / बरे में खीन ✓
होने से ता.पेशी की र्क। यह आदेश की
पालना में दिनांक 14/11/22 को पेश हो।


21⁰⁹/₂₀₂₂

प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना
पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया
कि उनवती प्रार्थना पत्र अस्थाई निवेदाता
में तारीख पेशी 14.11.2022 तिपत है।
प्रार्थीगण ने T.I. प्रार्थना पत्र को विद्रा
करने के लिए अलग से प्रार्थना पत्र
पेश कर दिया है, ऐसी शूरत में
T.I. प्राणपत्र की पत्रावली आज ही
तलक कर निस्तारण का अपुरोध किया
गया। पत्रावली तलक की गई। प्रार्थीगण
कृष्णा पतिन रामावतार, नीलम, सोनू,
अजय पिठ रामावतार और ज्ञाक्षण का
T.I. प्रार्थना पत्र विचारधीन है।
प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत
कर निवेदन किया गया है कि पक्षकारन
में अब कोई विवाद नहीं रहा है।
ऐसी शूरत में प्रार्थीगण अपना T.I.

शुभा शर्मा
नीलम शर्मा
सोनु शर्मा
अजय शर्मा
अक्षय
म
(शुभा शर्मा)

कार
बिसा

प्रार्थना पत्र विद्रा करना चाहते हैं तथा कोई कार्यवाही ज.प्र. प्रार्थन के संबंध में नहीं चाहते हैं। अतः प्रार्थन विद्रा करने की अनुमति चाही है। प्रार्थीगणों ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा उनकी पहचान उनके अधिवक्ता श्री रामलाल गोडवाल द्वारा की गई। प्रार्थीगणों की पहचान उनके आधार कार्ड से भी की गई। चूंकि स्वयं प्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र अस्थाई निवेधात्ता विद्रा करना चाहते हैं। अतः ऐसी स्थिति में ज.प्र. प्रार्थना पत्र में आगे कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः प्रार्थीगणों के द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निवेधात्ता को विद्रा करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। चूंकि प्रकरण में अब आगे कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


उप ~~उप~~ अधिकारी
कोषा (राज.)